



Phone : 2711169

**DEPARTMENT OF LAW
UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR-302004**

No. UDL/2020/ 1122

Dated : 10/2/2020

सूचना

विधि विभाग के एलएल.एम. (General & H.R.) के ऐसे समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने पूर्व में सेमेस्टर – II एवं IV (General & H.R.) के आन्तरिक मूल्यांकन (C.A.) की परीक्षाएं नहीं दी हैं एवं जो विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश प्राप्त करने के योग्य हैं, ऐसे समस्त विद्यार्थी दिनांक 16 फरवरी, 2020 तक विधि विभाग के कार्यालय से सम्पर्क कर नियमानुसार प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

JS Rajwade

विभागाध्यक्ष

**Head
Dept. of LAW
Univ. of Rajasthan, Jaipur**